कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बाराबंकी।
पत्रांक 2298/14–4–4, दिनांक, बाराबंकी, 19/12/2017.

सेवा में,

अधिषाशी अभियन्ता
विद्युत पारेषण खण्ड (तृतीय) लखनऊ
220 के0वी0 उपकेन्द्र चिनहट आवासीय कालोनी
नौबस्ता मोड़ चिनहट लखनऊ ।

Diary No. 2298
Date : 20/12/17 File.....

E.E.

विषयः– **जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत 132 के0 वी0 रामसनेहीघाट–बुढ़वल रेलवे (2क्यू) विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–28सी बाराबंकी–बहरामघाट–बहराइच मार्ग पर किमी0 25/871 से 26/735 के मध्य वायी पटरी पर 132 के0 वी0 एकल परिपथ भूमिगत केबिल डालने हेतु 0.06048 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।**

सन्दर्भः– विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग उ0 प्र0 शासन लखनऊ का पत्रांक– पी–128/14–2–2017–800 (124)/2017 दिनांक 08 दिसम्बर 2017 तथा मुख्य वन सरंक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रॉक– 1557/11–सी–एफ.पी./यू.पी./टांस/ 26973/2017 दिनांक 11.12. 2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित करना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या– एफ0एन0 संख्या– 11–09/98 एफसी दिनांक 13–02–2014 के आलोक में उ0 प्र0 शासन वन अनुभाग–2 के पत्र संख्या– पी 128/14–2–2017–800(124द्ध/2017 दिनांक 8–12–2017 द्वारा जनपद बाराबंकी में निर्माणाधीन 132 के0 वी0 रामसनेहीघाट–बुढ़वल रेलवे (2क्यू) विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण कार्य हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–28सी बाराबंकी–बहरामघाट–बहराइच मार्ग पर किमी0 25/871 से 26/735 के मध्य वायी पटरी पर 132 के0 वी0 एकल परिपथ भूमिगत विद्युत केबिल डालने हेतु प्रभावित 0. 06048 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। इसके क्रम में उक्त सभी निधियॉ, भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0) की धनराशि तथा प्रभावित वन भूमि 0.06048 हे0 संरक्षित वन भूमि के दोगुने 0.12096 हे0 अवनत वन भूमि पर वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान वेतन दरो को समाहित करते हुए अलग– अलग ई–पोर्टल के माध्यम से दिनांक 14–10–2015 के बाद से लागू प्रक्रिया के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सम्बन्धित वेवसाइट www. forestsclernce.nic.in में चालान के माध्यम से ई–पोर्टल के चालान द्वारा जमा करते हुए ई–पेमेन्ट के चालान की स्लिप के साथ सभी विन्दुओं पर अपनी अनुपालन आख्या एवं शपथ पत्र (बचनबद्धता) सहित सूचना निम्न विन्दुओं पर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाय। तदोपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का एन0आई0सी0 के माध्यम से प्राप्त ई–पेमेन्ट के चालान की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या सहित (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0 प्रभावित वन भूमि के दोगुने अवगत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव तथा प्रभावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थनों यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाय। तत्पश्चात ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। (जमा की गयी चालान की प्रति जिसमें जारी करने वाले बैंक का नाम शाखा एवं दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित हो) प्रस्तुत किया जाय। अनुपालन आख्या सभी विन्दुओं पर अलग–अलग निर्धारित प्रपत्र में आवश्य संलग्नकों सहित पांच प्रतियों में तैयार कर प्रस्तुत किया जाय। अन्यथा अनुपालन आख्या मान्य नहीं होगी। अन्यथा विलम्ब के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे।

1– प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)– 202/1995 के अर्न्तगत आई0ए0 संख्या– 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0), क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकारण (Compensatory Afforestration Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

2– प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि 0.06048 हे0 के दोगुने 0.12096 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु धनराशि रू0 1595100/– (पन्द्रह लाख पंचानवे हजार एक सौ रू0 मात्र) ई पोर्टल के चालन के माध्यम से जमा कराये तथा चालान की प्रति संलग्न करें।

3– प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर 200 पौधों का ब्रिकगार्ड में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रख रखाव रू0 1318500/– (तेरह लाख अडट्ठारह हजार पांच सौ रू0 मात्र) एन. आई. सी. के ई–पोर्टल के चालान के माध्य से जमा किया जाय।

4– उपरोक्त अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्ममान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधिकरण के तर्थ निकाय के ऑन लाइन ई–पोर्टल पर ई–चालान के माध्यम से कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) नई दिल्ली के पक्ष में एन0 आई0सी0 के माध्यम से ई–पोर्टल के चालान द्वारा धनराशि– 0.06048 x 626000 = 37860.48 रू0 37860 /– (सैतिस हजार आठ सौ साठ रू0 मात्र) जमा कराया जाय तथा उसकी पठनीय प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत की जाय।

5– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।

6– वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

7– नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगें।

8– प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस–पास फ्लोरा (वनस्पति)/फॉना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होगें, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फॉना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेगे।

9– प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10– प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगें और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

11– उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वन भूमि अथवा उसमें किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग उ0 प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

12– भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–3/2007–FC (Pt.) दिनांक 19–8–2010 तथा पत्र संख्या–J-11013/41/2006-IA-II(1), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है, तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।

13– उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशो/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिए आवश्यक हो, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

14– राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रीय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होगी।

15– प्रयोक्ता अभिरण को यह अण्डरटेकिंग (वचनबद्धता) देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण इसका भुगतान करेगा।

16– यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जाय।

17– समस्त वैधानिक / प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

18– उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

19– इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 13–02–2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

20– पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक– 11–9/98–एफसी, दिनांक 08–07–2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू– संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (**shp**) फाइल में दर्शाया गया है।

21– भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या– 7–25/2012–एफ.सी. दिनांक 05 मई 2014 में उल्लिखित दिशा निर्देश का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

22– उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो /प्रतिबन्धों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

अनुपालन आख्या

Observ No	Observation of GOI	Reply

भवदीय,

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी।

संख्या / उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0 प्र0, लखनऊ को उपरोक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी।

मूल में नहीं।

संख्या / उक्तदिनांकित।
1– प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जावेद अख्तर)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी।

त्रिभुवन/–